



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124653

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 22705 वर्ष 2026

श्रीमती मुस्कान और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: हया रिज़वी

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश रिट के माध्यम से प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 की उम्र 20 साल और याचिकाकर्ता संख्या 2 की उम्र 31 साल है और दोनों बालिग हैं। काज़ी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र और ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भी संलग्न किए गए हैं।
4. लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 सीआर.एल.जे. 3309 में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के मामले पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:-

“यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या हिंसा के कृत्यों को उकसा नहीं सकते और ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए, न ही उन्हें धमकी दी जाए या हिंसा के कृत्यों का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है, परेशान करता है या हिंसा के कृत्यों को अंजाम देता है, चाहे स्वयं या उसके उकसावे पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून द्वारा निर्धारित कठोर कार्रवाई की जाए।”

5. **भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 28 में निम्नलिखित कहा:-

"28. अक्सर प्यार में पड़े युवा जोड़ों को मनमानी अदालतों के प्रकोप से बचने के लिए पुलिस लाइन या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने **लता सिंह** मामले में कहा है कि 'ऑनर किलिंग' में कुछ भी 'सम्मानजनक' नहीं है, और ये कट्टर और सामंती मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्याएं हैं। हमारी राय में, ऑनर किलिंग, चाहे किसी भी कारण से हो, मृत्युदंड के योग्य दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती है। इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है, जो हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं। इस तरह के घृणित, असभ्य व्यवहार को रोकने के लिए यह आवश्यक है। 'ऑनर किलिंग' करने की योजना बना रहे सभी व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।"

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों और टिप्पणियों का उत्तर प्रदेश राज्य में पालन किया जा रहा है और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को केवल यह आशंका है कि निजी प्रतिवादी उनके साथ हिंसा कर सकते हैं या उन्हें परेशान कर सकते हैं।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुण दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका का अंतिम रूप से **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो मामले की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

8. याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे आज से दो महीने के भीतर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त विवाह का पंजीकरण कराएं और यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर विवाह का पंजीकरण नहीं कराते हैं तो यहां दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता या याचिकाकर्ताओं की सही आयु पर कोई निर्णय नहीं दिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

10. चूंकि याचिका का प्रारंभिक चरण में ही निस्तारण किया जा रहा है, इसलिए, यदि आदेश तथ्यों को दबाकर या छिपाकर या झूठे कथनों के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो इससे व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इसे रिकॉल करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

11. हालांकि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी विवेचना में बाधा नहीं बनेगा।

12. यदि याचिकाकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है और प्रतिवादी संख्या 4 की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया जा रहा है, तो प्रतिवादी संख्या 4 को इस आदेश को रिकॉल करने के लिए आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति)

2 जून, 2026

ज्योत्सना

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"